saving drugs, medicines or equipments.

There is at present no proposal to declare Endoscopic equipment as "life-saving" for Customs duty exemption purposes.

मारुति कारों की बिक्री में काले धन का प्राप्त होना

729. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व उनके मंत्रालय द्वारा मारुति कारों की बिक्री में प्राप्त होने वाले काले धन के संबंध में की जा रही जांच-पड़ताल पूरी कर ली गयी है, **और**

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आयकर प्राधिकारी, मूल आवंटितियों द्वारा मारुति वाहनों के लिये किये गये कुछ अन्तरणों की केवल जांच कर रहे थे ताकि इस प्रकार के लेन-देनों में लेखा-बाह्य राशियों के निवेश का पता लगाया जा सके। चूंकि ऐसे मामलों में कर निर्धारण कर-निर्धारण-वर्ष 1985–86 से सम्बन्धित है, इसलिये कर-निर्धारितियों के पास अपनी विवरणियां 31–7–85 तक दाखिल करने का समय है।

मैसर्स मेहर कारपोरेशन तथा अन्य के विरुद्ध मुकदमों का दायर किया जाना

730. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री 20 मार्च, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 947 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मेहर कारपोरेशन और उसके तीन भागीदारों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बम्बई की अदालत में जो मुकदमें दायर किये थे उनमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सर्वश्री आर० के० जैन और पोद्दारों के जो मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये थे, उनकी जांच में हुई प्रगति का विवरण क्या है ; और

(ग) बैंक आफ बड़ौदा, पंजाब एण्ड सिध बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा ऋणदाताओं से ऋण की बकाया राशि वसूल किये जाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने सूचित किया है कि मैसर्स मेहर कारपोरेशन और उसके तीन भागीदारो के खिलाफ 26 जनवरी, 1985 को बंबई के ए० सी० एम० तीसरे न्यायालय में तीन मामलों में तीन अभियोग पत्र दाखिल किये गये थे जिनके मामले में अदालती कार्यवाई चल रही है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि इन मामलों में जांच अन्तिम चरण में हैं।

(ग) जबकि बैंक आफ बड़ौदा और स्टेट बैंक आफ पटियाला ने सूचित किया है कि मेहर कारपोरेशन के खातों में कोई वसूली नही हुई है, पंजाब एंड सिध बैंक ने मार्च, 1983 में 2,64,874 रुपये की राशि वसूल की थी। बताया जाता है कि सभी तीन बैंकों ने अपनी बकाया रकमों की वसूली के लिये ऋणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दायर किये हैं।

महालेखाकार, इलाहाबाद के कार्यालय में चोरी

731. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री 14 मई, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1366 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकार, इलाहाबाद के कार्यालय में कथित चोरी के बारे में जो

विभागीय स्तर पर और पुलिस द्वारा जाच चल रही थी वह पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है , और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण है और जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कलकत्ता की मैसर्स नेशनल टोबेको कम्पनी से उत्पादन शुल्क की वसूली

732. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री 26 मार्च, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सख्या 975 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स नेशनल टोबेको कम्पनी, कलकत्ता से 4.08 करोड़ रुपये के उस उत्पादन शुल्क की वसूली के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है जिसके लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा दिनांक 2 मार्च, 1985 को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया था ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैसर्स नेशनल टोबेको कम्पनी, कलकत्ता को जारी किया गया दिनांक 2 मार्च, 1985 का 'कारण बताओ' नोटिस न्याय निर्णय के अधीन है । न्याय निर्णयन के पूरा होने के बाद ही केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, यदि बकाया पाया गया, की वसूली की जा सकती है ।

Recovery of Excise Duty from a Textile firm of Bombay

733. SHRI NAND KISHORE BHATT:
SHRI BISWA GOSWAMI:
SHRI M. S. GURUPADASWAMY:
DR. SHANTI G. PATEL:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newspaper report which appeared in the Times of India on the 3rd June, 1985 to the effect that the Directorate of Anti-evasion under the Central Excise Department has asked a leading textile firm of Bombay to pay more than 10 crores for defrauding Government of excise duty during the last two years;

(b) if so, what are the details in this regard; **and**

(c) whether Government have recovered the said amount from the above firm?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) In a case adjudicated by the Director of Anti Evasion (Central Excise), a textile firm of Bombay has been directed to pay central excise duty amounting to Rs. 708.59 lakhs and penalty amounting to Rs. 200 lakhs. A penalty of Rs. 50 lakhs has been imposed on the Chairman of the company. Further, the plant and machinery has been confiscated with an option to redeem the same on payment of a fine of Rs. 100 lakhs.

(c) The party has filed a writ petition in the Bombay High Court. The court has passed an interim order on the 23rd July, 1985 restraining the Department from acting in any manner in pursuance of the adjudication order for a period of eight weeks pending the hearing and final disposal of the petition.